राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट–I/अलेसे–III/2054 **दिनांक :–** 11.01.2025

आदेश संख्या 206/2024–25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे **कोषालय, डूंगरपुर** में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:–

JRA Recruitment Exam – 2023 TSP Appointment List

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	DIVYANSH BHATT S/O NAGENDRA BHATT 790369	10-09-1995	DUNGARPUR	
2.	HEMENDRA KUMAR CHOUBISA S/O MANILAL CHOUBISA 792160	18-11-1989	DUNGARPUR	
3.	PRIYANSHU PATIDAR S/O SHIVRAM PATIDAR 794899	27-07-1999	DUNGARPUR	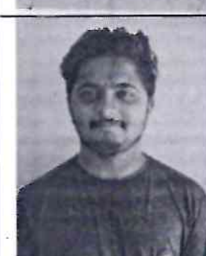
4.	DEEPAK KUMAR NAYAK S/O RAMLAL NAYAK 793660	03-05-1997	DUNGARPUR	
5.	DHAIRYA CHOUBISA S/O DIGVIJAY CHOUBISA 791026	17-01-1999	DUNGARPUR	

6.	ANIL KUMAR PATIDAR S/O HARISH CHANDRA PATIDAR 792067	12-10-1998	DUNGARPUR	
7.	DIVYA PATIDAR S/O DAYALAL PATIDAR 795617	25-07-1998	DUNGARPUR	
8.	SOURABH JOSHI S/O SHANKAR LAL JOSHI 795596	04-07-1999	DUNGARPUR	
9.	NARENDRA SINGH CHOUHAN S/O RAJENDRA SINGH CHOUHAN 791122	08-01-1994	DUNGARPUR	
10.	ABHISHEK CHOUBISA S/O KESHAV LAL CHOUBISA 791445	06-04-2002	DUNGARPUR	
11.	BHUPENDRA SHRIMALI S/O BHAGYARAM SHRIMALI 792984	01-07-1991	DUNGARPUR	
12.	JAYESH KUMAR KALAL S/O GOTAM LAL 795568	20-11-1993	DUNGARPUR	
13.	NIRBHAY PATIDAR S/O GOVARDHAN LAL PATIDAR 795835	03-09-1992	DUNGARPUR	
14.	CHAITANYA NAYAK S/O JAMNA LAL NAYAK 791678	16-08-1995	DUNGARPUR	

15.	DEEPAK KUMAR SAVAK S/O NARAYAN LAL SAVAK 791341	31-12-1994	DUNGARPUR	
16.	SHASHIKANT PATIDAR S/O NARAYAN PATIDAR 796167	13-10-1998	DUNGARPUR	
17.	ABHISHEK MEHTA S/O RAMESH CHANDRA MEHTA 793677	21-07-1995	DUNGARPUR	
18.	JAYANT PATIDAR S/O JAGJI PATIDAR 796533	24-11-1999	DUNGARPUR	
19.	BHAVESH KUMAR PATIDAR S/O KUBER PATIDAR 789676	07-07-1994	DUNGARPUR	
20.	ADITYA KANSARA S/O KULDIP KANSARA 789873	18-07-1998	DUNGARPUR	
21.	MANVENDRA SINGH SHAKTAWAT S/O SHIV SINGH SHAKTAWAT 794913	23-04-1991	DUNGARPUR	
22.	KARTIK PATEL S/O ISHWAR LAL PATEL 792477	28-07-1992	DUNGARPUR	
23.	CHIRAG LABANA S/O NARENDRA LABANA 793412	05-09-1999	DUNGARPUR	

24.	HINAL PATEL D/O SHUBHASH CHANDRA KALAL 795763	21-10-2000	DUNGARPUR	
25.	CHAYAN RAWAL S/O KISHOR KUMAR RAWAL 793410	03-08-2000	DUNGARPUR	
26.	FALGUNI BHAVSAR D/O KISHOR KUMAR BHAVSAR 796220	28-08-1993	DUNGARPUR	
27.	MALHAR BHATT S/O DHANESHWAR BHATT 792500	12-08-1991	DUNGARPUR	
28.	VAISHALI KALAL D/O SHIVLAL KALAL 791055	01-06-2000	DUNGARPUR	
29.	VIJETA JAIN D/O DINESH KUMAR JAIN 792595	20-11-1994	DUNGARPUR	
30.	BULBUL JAIN D/O SHRIPAL JAIN 791389	15-02-2000	DUNGARPUR	
31.	AYUSHI THAKUR D/O LOKESH THAKUR 789590	27-09-1999	DUNGARPUR	
32.	NETIKA PANCHAL D/O SOHAN LAL PANCHAL 792918	01-07-2001	DUNGARPUR	

33.	ANJALI TRIVEDI D/O UMESH TRIVEDI 793490	19-04-1996	DUNGARPUR	
34.	DIMPLE PANWAR D/O MUKUND SINGH PANWAR 795527	22-07-1993	DUNGARPUR	
35.	CHITRALEKHA D/O GUMAN SINGH 793715	30-12-1985	DUNGARPUR	
36.	HIMANI RATHORE D/O MANOJ BHOI 791700	26-09-1997	DUNGARPUR	
37.	VIDHYA PANDOR D/O MARTA RAM PANDOR 791221	31-12-1998	DUNGARPUR	
38.	BHAVESH BARANDA S/O RAJENDRA PRASAD BARANDA 794336	09-10-1997	DUNGARPUR	
39.	ROSHNI YADAV D/O RAMLAL YADAV 793968	07-03-1996	DUNGARPUR	
40.	SAWAN YADAV S/O GAUTAM LAL YADAV 791823	17-08-2000	DUNGARPUR	
41.	GANESH LAL BUNKAR S/O DHANJI BUNKAR 792176	11-08-1990	DUNGARPUR	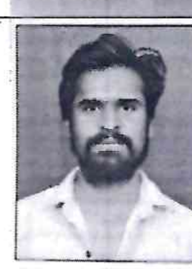

42.	NAVEEN KHANT S/O GALJI KHANT 793809	16-07-1998	DUNGARPUR	
43.	CHUNNI LAL DODIYAR S/O KANTI LAL DODIYAR 791378	15-08-1999	DUNGARPUR	
44.	RITU DODA D/O AMRIT LAL DODA 790367	25-06-2000	DUNGARPUR	
45.	LAXMAN LAL KATARA S/O NARAYAN KATARA 793106	05-06-1995	DUNGARPUR	
46.	AJAY BARANDA S/O VISHRAMJI BARANDA 793946	15-02-1998	DUNGARPUR	
47.	KULDEEP BARANDA S/O RAMESH CHANDRA BARANDA 795315	11-07-2001	DUNGARPUR	
48.	PRIYANK SARPOTA S/O ARVIND KUMAR SARPOTA 791434	10-06-2000	DUNGARPUR	
49.	HITESH MALIWAR S/O DINESHVER MALIWAR 796223	09-01-1997	DUNGARPUR	
50.	SHARAD KUMAR AHARI S/O ASHOK KUMAR AHARI 793820	23-05-1992	DUNGARPUR	

51.	JAYA MASAR D/O KAMALASHANKER MASAR 790564	26-02-1998	DUNGARPUR	
52.	RAJENDRA DAMOR S/O GATU LAL DAMOR 791532	10-05-2001	DUNGARPUR	
53.	YOSHAL MEENA D/O KANHAIYALAL DODIYAR 790771	18-07-1998	DUNGARPUR	
54.	VIDHYUT KUMAR DODIYAR S/O MANSINGH DODIYAR 790425	02-08-1998	DUNGARPUR	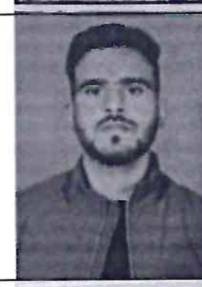
55.	JAYESH HADAT S/O VIJAYPAL HADAT 793365	31-12-1996	DUNGARPUR	
56.	NIHAR MANAT S/O SUBHASH CHANDRA MANAT 789504	26-02-2002	DUNGARPUR	
57.	ISHVAR MEENA S/O PREMJI MEENA 795316	25-05-1997	DUNGARPUR	
58.	VISHAL BAMANIA S/O MANILAL MEENA 795307	06-08-1995	DUNGARPUR	
59.	HITESH MASAR S/O NARAYAN LAL MASAR 792617	06-07-1999	DUNGARPUR	

60.	KANHAIYALAL AHARI S/O LALJI AHARI 790600	28-02-1996	DUNGARPUR	
61.	NILESH KUMAR DAMOR S/O SOMESHVAR DAMOR 792793	16-02-1997	DUNGARPUR	
62.	BHUVNESHWARI PARGI D/O LAXMAN LAL PARGI 793293	18-07-1997	DUNGARPUR	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे। **यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।**
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल–10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम–10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:–
   1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र–ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)

   5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के कम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्नः— शपथ—पत्रों के प्रारूप

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट—I/अलेसे—III/2054 **दिनांक :—** 11.01.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी...को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावेः—
   1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
   3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
   4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
   5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र—ए में शपथ पत्र
   6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में

   (उक्त कम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई—स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय ।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री...को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)